17-01-18

आवेदिका द्वारा श्री के.डी. पाण्डव अधिवक्ता एवं श्री डी.आर. बिसेन अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक / राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित।

श्री दिलीप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर के न्यायालय से दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 20/2018 शासन विरुद्ध बिजमा+1 मूल प्रकरण प्राप्त।

प्रथम जमानेत आवेदन पत्र क्रमांक बी.ए. 8/2018 अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए।

मूल आवेदन दिनांक 15.01.18 का अध्ययन किया गया। मूल अभिलेख में अभियोग पत्र के साथ डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।आवेदिका बिजमा की एम.एल. सी. दिनांक 16.10.17 द्वारा रक्त का नमूना परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट प्रेषित किया जाना लेख है तथा दिनांक 17.10.17 की एम.एल.सी. संलग्न है, जिसमें शरीर पर बाह्य क्षति न होना लेख है।

16.10.17 के पश्चात् आज दिनांक तक पुलिस थाना बैहर द्वारा प्रेषित रक्त नमूना की जॉच रिपोर्ट पेश नहीं है। सम्पूर्ण अभियोग पत्र का अध्ययन करने पर यह मामला धारा 302 भा0दं0वि0 के अधीन नहीं है।

धारा 317 भा०दं०वि० का अपराध 7 वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध है। मृत बच्चे का परित्याग इस आवेदिका द्वारा किया गया है की स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अपराध की प्रकृति को देखते हुये उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लेकर पेश आवेदन पत्र बिना टिप्पणी किये स्वीकार किया जाता है और आदेशित किया जाता है आवेदिका बिजमा यदि 25000/—रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र न्यायालय श्री दिलीप सिंह जे.एम.एफ.सी. बैहर की संतुष्टि योग्य पेश करे तो उसे जमानत पर आजाद करने हेत् रिहाई आदेश जारी हो।

इस आदेश की एक प्रति आपराधिक प्रकरण क. 20 / 18 के साथ संलग्न कर अभिलेख प्रेषित किया जावे। यह कार्यवाही नंबर से निरस्त कर, परिणाम

पंजी में दर्ज कर, अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / –

(माखानलाल झोड)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला बैहर